

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 515]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 नवम्बर 2014—कार्तिक 19, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2014

शुद्धि-पत्र

अधि. क्र. 103-एफ-1-11-2013-अठारह-3.—नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 38 एफ 1-11-2013-अठारह-3, दिनांक 10 अक्टूबर 2014 नगर परिषद् कोठरी, जिला सीहोर के लिये आरक्षित वार्डों की सूची मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10 अक्टूबर 2014 में प्रकाशित की गई है. अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक 956(16) पर क्रमांक 7 अनारक्षित महिलाओं के लिये आरक्षित वार्ड के सामने (कालम क्रमांक 4) “01 राममनोहर लोहिया वार्ड” के स्थान पर “02 राममनोहर लोहिया वार्ड” एवं “04 सरदार भगत सिंह वार्ड” के स्थान पर “10 सरदार भगत सिंह वार्ड” तथा “05 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड” के स्थान पर “13 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड” पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.